



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220764
CG-DL-E-30072020-220764

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2211]
No. 2211]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SHRAVANA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

का.आ. 2502 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH161A के कि.मी. 9.4 से कि.मी.33 (हडगाओं) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१६/०२/२०२०" को "लोकमत" और "लोकमत टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में NH161A के कि.मी. 9.4 से कि.मी.33 (हडगाओं) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नांदेड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हिमायतनगर				
	गांव का नाम: सरसम (बु)				
1	166/5	निजी	एग्रीकल्चर	0.03	विलास नारायण सुर्यवंशी (१६६/५)
	गांव का नाम: सोनारी				
2	67	निजी	एग्रीकल्चर	0.7546	शेख हफीज शेख अब्दुल्ला (६७)
3	67	निजी	एग्रीकल्चर	0.0766	शेख असीफ शेख अब्दुल्ला (६७)
4	67	निजी	एग्रीकल्चर	0.0172	शेख रशिद शेख करीम (६७)
5	68	निजी	एग्रीकल्चर	0.2179	शेख युसुफ शेख खाजा] (६८)
6	69	निजी	एग्रीकल्चर	0.0897	मजदखा बजमातखा (६९)
7	69	निजी	एग्रीकल्चर	0.0779	संतोष भाऊराव तिरमलवार (६९)

8	70	निजी	एग्रीकल्चर	0.1994	गंगाधर गणपती तिरमलवार (७०)
9	71	निजी	एग्रीकल्चर	0.2351	शेख जलील शेख चांद (७१)
			कुल	1.6984	

[फा. सं. 12037/37/2017-MAH-P6/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**New Delhi, the 29th July, 2020

S.O. 2502(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH161A on the stretch of land from Km 9.4 to Km 33 (Nagar Palika Building, 1st Floor Hadgaon) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat” and “Lokmat Times” both dated 16/02/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH161A in the stretch of land from Km. 9.4 to Km. 33 (Nagar Palika Building, 1st Floor Hadgaon) in the district of NANDED in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: NANDED		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Himayatnagar				
	Village: Sarsam (Bk)				
1	166/5	Private	Agriculture	0.03	Vilas Narayan Suryawanshi 166/5

	Viilage: Sonari				
2	67	Private	Agriculture	0.7546	Shaikh Hafeez Shaikh Abdulla 67
3	67	Private	Agriculture	0.0766	Shaikh Aseef Shaikh Abdulla 67
4	67	Private	Agriculture	0.0172	Shaikh Rashid Shaikh Kareem 67
5	68	Private	Agriculture	0.2179	Shaikh Yusuf Shaikh Khaja 68
6	69	Private	Agriculture	0.0897	Mujadkha Bajmatkha 69
7	69	Private	Agriculture	0.0779	Santosh Bhaurao Tirmalwar 69
8	70	Private	Agriculture	0.1994	Gangadhar Ganapati Tirmalwar 70
9	71	Private	Agriculture	0.2351	Shaikh Jalil Shaikh Chand 71
			TOTAL	1.6984	

[F. No. 12037/37/2017-MAH-P6/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.